न्यायालय सहायक कलेक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी— डॉ गौरव सैनी, आई.ए.एस

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1. श्री रूपा पुत्र स्व. श्री सोना, जाति ग्रासिया, निवासी आवल तहसील आबूरोड		1. श्री धुला पुत्र दीता 2. श्री तेजा पुत्र धुला 3. श्री थावरा पुत्र धुला 4. श्री लाला पुत्र धुला 5. श्री वेला पुत्र धुला 6. श्री गणेश पुत्र धुला 7. सुरती पुत्री धुला 8. गीता पुत्री धुला 9. श्रीमती रेशमी पत्नी स्व. वीरमा 10. श्री हंसाराम पुत्र स्व. वीरमा 11. सवली पुत्री स्व. वीरमा 12. शारदा पुत्री स्व. वीरमा 13. मनु पुत्री स्व. वीरमा 14. रेखा पुत्री स्व. वीरमा 15. कोमा पुत्री स्व. वीरमा 16. श्री कान्ति पुत्र स्व. वीरमा जातियान ग्रासिया, निवासियान पिसरो की फली, गणका, तहसील आबूरोड 17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आबूरोड

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या 18/~~2020~~ 2017

दिनांक 11—11—2020

निर्णय

यह कि **प्रार्थी द्वारा प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि** मौजा आवल पटवार हल्का आवल तहसील आबूरोड में निम्नलिखित कृषि भूमि आयी हुई है। जिसका रकबा 1210, 1211, 1212, 1217, 1219, 1220, 1221, 1222, 1228, 1234 कुल किता 10 रकबा क्रमशः 07.09, 03.00, 06.03, 0.17, 02.02, 0.15, 0.19, 01.05, 03.14, 05.04 कुल रकबा 31 बीघा 08 विस्वा है यह कि उक्त कृषि भूमि में रावता पुत्र अखा एवं सोना का नाम दर्ज था सोना की मृत्यु पश्चात प्रार्थी का नाम दर्ज हुआ एवं रावता पुत्र अखा की मृत्यु पश्चात रेशमी पत्नी धुला (पुत्री रावता) का नाम दर्ज हुआ। वर्तमान में जमाबन्दी में प्रार्थी रूपा पुत्र सोना तथा रेशमी पत्नी धुला निवासी गणका का नाम दर्ज है। परन्तु उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि पर कब्जा प्रार्थी का ही है। लगान प्रार्थी ही अदा करता है। प्रार्थी ने खेती करने हेतु पानी का बोर करवाया है एवं कृषि भूमि को खेती लायक उपजाउ बनाने हेतु प्रार्थी व उसके पिता ने अपनी सम्पूर्ण जमा पुंजी खर्च की है। अप्रार्थी संख्या 1 श्रीमती रेशमी का पति अप्रार्थी संख्या 2 ता 8 श्रीमती रेशमी के पुत्र पुत्री एवं अप्रार्थी संख्या 9 से 15 श्रीमती रेशमी के मृतक पुत्र विरमा के वारिसान है। यह कि उक्त कृषि [illegible] रावता पुत्र अखा के नाम रेवेन्यु रेकर्ड में दर्ज थी रावता के जीवनकाल से [illegible] भूमि पर प्रार्थी अपने पिता के जीवनकाल से लगातार काश्त [illegible] कोई पुत्र नहीं होने से रावता भी प्रार्थी को पुत्र तुल्य समझता था एवं प्रार्थी [illegible] की मृत्यु पर्यन्त तक [illegible] साथ रहकर रावता की सेवा चाकरी, भरण पोषण इत्यादि किया है। रावता के [illegible] में रावता ने श्रीमती रेशमी के रूबरू जुबानी वसीयत [illegible] रावता के हक हिस्से की [illegible] भूमि प्रार्थी को दे दी थी। श्रीमती रेशमी ने भी जुबानी वसीयत कर उक्त कृषि भूमि में अपने हक अधिकार प्रार्थी को दे दिये थे। रावता की जीवनकाल में भी प्रार्थी ने ही काश्त की है। श्रीमती रेशमी अपने ससुराल में ही रहती थी। श्रीमती रेशमी ने मौके पर कभी काश्त नहीं की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2021.01.19 09:58:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
आबू-पर्वत

यह कि रावता की मृत्यु पर सामाजिक रीति रिवाज अनुसार बारवा प्रार्थी द्वारा किया गया एवं रावता की मृत्यु बाद सामाजिक पगडी रस्म में गांव एवं समाज के पंचों व रिश्तेदारों ने रावता के वारिस के रूप में पगडी प्रार्थी के बांधी है उस समय रेशमी भी मौजूद थी। रावता की मृत्यु के पश्चात श्रीमती रेशमी ने उक्त कृषि भूमि में रावता के बाद प्रार्थी का नाम दर्ज करवाने का कहा रेशमी व प्रार्थी के मध्य किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं था एवं पारिवारिक रस्मे भी प्रार्थी ने पूर्ण की है। इस प्रकार रावता के हक हिस्से की कृषि भूमि पर भी प्रार्थी काबिज काश्त रहा है। प्रार्थी का कब्जा काश्त पैदाईसी करीब 40–45 वर्षो से लगातार चला आ रहा है एवं 30 वर्ष से अधिक समय से प्रार्थी अकेला उक्त सम्पूर्ण भूमि पर काश्त करता आ रहा है।

यह कि श्रीमती रेशमी के मृत्यु हो जाने पर अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त भूमि में रेशमी के स्थान पर प्रार्थी का नाम दर्ज करवाने का आश्वासन दिया एवं यह भी कहा कि रेशमी ससुराल में रहती है जाति रीति रिवाज अनुसार भी रेशमी व उसके वारिसान को ससुराल की भूमि में ही हक अधिकार है। विधि के तहत भी अनुसूचित जनजाति में पुत्री को अपने पिता की कृषि भूमि में कोई हक अधिकार नहीं है।

यह कि प्रार्थी द्वारा श्रीमती रेशमी की मृत्यु माह अक्टुम्बर 2016 में होने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 को श्रीमती रेशमी के स्थान पर प्रार्थी का नाम रेवेन्यु रेकर्ड में दर्ज करवाने का निवेदन करने पर अप्रार्थी संख्या 1 ता 15 ने प्रार्थी का नाम दर्ज करवाने हेतु हामी भरी तत्पश्चात गांव वालों के बहकावे में आकर उक्त कृषि भूमि में श्रीमती रेशमी के स्थान पर प्रार्थी का नाम रेवेन्यु रेकर्ड में दर्ज नहीं करवाया एवं कृषि भूमि को विक्रय हस्तान्तरण व रहन रखने की धमकी दी जबकि उक्त कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण काबिज नहीं है। प्रार्थी उक्त कृषि भूमि पर लगातार काबिज काश्त है।

यह कि उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि पर प्रार्थी काबिज काश्त है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 15 ने उक्त कृषि भूमि के रेवेन्यु रेकर्ड में दर्ज रेशमी के हक हिस्से की कृषि भूमि को विक्रय, हस्तान्तरण रहन इत्यादि करने एवं प्रार्थी के कब्जे में दखल अन्दाजी करने की धमकी देने के कारण स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

हमने प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामिल शुदा प्राप्त। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत। अप्रार्थी संख्या एक से 16 ने जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी के कथन को अस्वीकार किया। तथा कथन किया कि रेश्मी की मृत्यु के बाद अप्रार्थी संख्या 01 से 16 विधिक उत्तराधिकारी के रूप मे 1/2 हक हिस्से का खातेदार है।

हमने उभय पक्षीय बहस सुनी। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया कि रावता पुत्र आखा के जीवनकाल से ही प्रार्थी का प्रश्नगत आराजी पर कब्जा काश्त है। प्रार्थी को रावता पुत्र तुल्य ही समझता था एवं प्रार्थी रावता की मृत्यु पर्यन्त तक उसके साथ रहकर रावता की सेवा चाकरी, भरण पोषण इत्यादि करता था। रावता के जीवन काल मे ही रावता ने जुबानी वसीयत कर रावता के हक हिस्से की प्रश्नगत आराजी प्रार्थी को दे दी थी। तथा रावता पुत्र आखा की मृत्यु के समय रेश्मी पत्नी धुला ने प्रार्थी को आश्वासन दिया था कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड मे करा देगें। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रश्नगत आराजी के 1/2 हक हिस्से तक कृषि भूमि रावता के उत्तराधिकार मे अप्रार्थीगण को प्राप्त हुई है। जिस पर काबिज होकर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 16 कृषि कार्य कर रहे है। प्रार्थी ने कोई ... वसीयतनामा पेश नही किया है तथा प्रश्नगत आराजी पर अपना ... साबित करने मे असफल रहा है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 16 रेकर्डेड काश्तकार है ... सुविधा का संतुलन, प्रथम दृष्ट्या प्रकरण मे प्राथी के पक्ष मे साबित नहीं होता है। न ही प्रार्थी स्वयं की अपुर्तनीय क्षति साबित कर पाया है। इसलिये प्रा... का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम परिपोषणीय नहीं होने से अस्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2021.01.19 09:58:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आबू-पर्वत

आदेश

यह कि प्रश्नगत आराजी मौजा आवल पटवार हल्का आवल तहसील आबूरोड के खसरा नंबर 1210, 1211, 1212, 1217, 1219, 1220, 1221, 1222, 1228, 1234 कुल किता 10 रकबा क्रमशः 07.09, 03.00, 06.03, 00.17, 02.02, 00.15, 00.19, 01.05, 03.14, 05.04 कुल रकबा 31 बीघा 08 विस्वा कृषि भूमि के 1/2 हिस्से तक अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 16 रिकॉर्ड खातेदार है। प्रार्थी ने लिखित वसियतनामा पेश नही किया है। न ही अपना कब्जा साबित कर पाया है। ऐसी स्थिति मे सुविधा का संतुलन, प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे साबित नही होता है। न ही प्रार्थी स्वयं की अपुर्तनीय क्षति साबित कर पाया है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11-11-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ गौरव सैनी) I.A.S.
सहायक कलक्टर आबूपर्वत

सहायक कलक्टर
आबू-पर्वत

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2021.01.19 09:38:02 IST
Reason: SelfAttested